बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
।। अधिसूचना ।।

संoसंo–16 / आरोप–05–42 / 2025 986 **पटना, दिनांक**–25/03/26

श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, रामनगर सम्प्रति निलंबित मुख्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, कटिहार का कार्यालय को अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम, 10 (i) के प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–9615 दिनांक–12.12.2024 द्वारा दिनांक–29.04.2023 से 75 प्रतिशत जीवन निर्वाह भत्ता के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पत्रांक–232 दिनांक–17.02.2021 द्वारा प्राप्त सूचना यथा–श्री प्रसिद्ध नाथ तिवारी से 20,000/–रूपये रिश्वत लेने के आरोप में निगरानी विभाग के द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने हेतु छापेमारी की गयी, परंतु गिरफ्तारी के दौरान श्री सिन्हा को वहाँ जमा हुई भीड़ के द्वारा हंगामा कर पुलिस अभिरक्षा से छुड़ा लिया गया, जिसके बाद श्री सिन्हा वहाँ से भाग गये। श्री सिन्हा का यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3 (1) (i), (ii) व (iii) के आलोक में लोक सेवक के आचरण के प्रतिकूल, कर्तव्य के प्रति पूरी शीलनिष्ठा नहीं रखने एवं भ्रष्टाचार का परिचायक है। यह आरोप गंभीर प्रकृति के हैं।

3. विभाग अंतर्गत निलंबित सरकारी सेवकों के निलंबन की समीक्षा हेतु गठित समिति की दिनांक–28.02.2026 को आहूत बैठक में समिति द्वारा श्री सिन्हा के संबंध में की गयी अनुशंसा के संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम, 10 (ii) एवं 10 (4) के प्रावधान के आलोक में श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, रामनगर सम्प्रति निलंबित मुख्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, कटिहार का कार्यालय को विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–9615 दिनांक–12.12.2024 द्वारा 75 प्रतिशत जीवन निर्वाह भत्ता के भुगतान की दी गयी स्वीकृति को आदेश निर्गत की तिथि से **50 प्रतिशत** करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/–
(राजीव रंजन तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–16 / आरोप–05–29 / 2025 986 पटना, दिनांक– 25.3.26

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ नगर आयुक्त, नगर निगम, कटिहार/ श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, रामनगर सम्प्रति निलंबित मुख्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, कटिहार का कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव (स्थापना) / आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

R. P. 25/3/2026

सरकार के उप सचिव।